महाराष्ट्र में रकबा कम होने से 40% घट सकता है शुगर प्रॉडक्शन

[ईटी ब्यूरो। पुणे]

महाराष्ट्र में सूखे के कारण 2019-20 पेराई सीजन में चीनी उत्पादन 40 पर्सेंट कम हो सकता है। राज्य में गन्ने के रकबे में 28.5 पर्सेंट की कमी आई है और बड़े पैमाने पर गन्ने का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में हो रहा है। शुगर कमिश्नर (महाराष्ट्र) शेखर गायकवाड़ ने बताया कि 2018-19 में गन्ने का रकबा 11.62 लाख हेक्टेयर था, जो 2019-20 पेराई सीजन में घटकर 8.43 लाख हेक्टेयर रह गया। राज्य की सोलापुर डिविजन में गन्ने के रकबे में सबसे अधिक गिरावट हुई। यहां रकबा 2.47 लाख हेक्टेयर से 48.49 पर्सेंट गिरकर 1.27 लाख हेक्टेयर रह गया।

- **राज्य में** 2019-20 में गन्ने का रकबा घटकर 8.43 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो पिछले साल 11.62 लाख हेक्टेयर था

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में गन्ने के रकबे में भारी कमी आई है, जो भीषण सूखे का सामना कर रहा है। कुछ महीनों से राज्य के मवेशियों के लिए गन्ना मुख्य चारा बना हुआ है। गायकवाड़ के मुताबिक मवेशियों के चारे के तौर पर इसके इस्तेमाल को ध्यान में रखें तो पेराई के लिए 570 लाख टन गन्ना मिलेगा, जिससे ₹64.41 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। शुगर इंडस्ट्री अधिक उत्पादन और कम मांग की चुनौती से जूझ रही है। इसलिए मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। राज्य सरकार की तरफ से गन्ने के लिए तय फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) का ₹23,033 करोड़ चीनी मिलों को किसानों को देना था, जिसमें से वे 94 पर्सेंट यानी ₹21,604 करोड़ का भुगतान कर चुकी हैं। गायकवाड़ ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से मिलों को ₹2,559 करोड़ का रियायती कर्ज, बफर स्टॉक बनाने के लिए ₹116.31 करोड़ की सब्सिडी, चीनी के निर्यात के लिए ₹153.35 करोड़ की सब्सिडी दी थी।

गायकवाड़ ने बताया कि ऐसे सरकारी उपायों के साथ हमने 77 चीनी मिलों को रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया, जिससे उन पर दबाव बना और किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिली। राज्य की चीनी मिलों ने इस साल किसानों को एफआरपी देने के लिए एंग्रीमेंट साइन करने का ट्रेंड शुरू किया। इससे पहले शुगरकेन कंट्रोल एक्ट (1966) के तहत गन्ने की डिलीवरी के 14 दिन के अंदर किसानों को एक किस्त में पूरा भुगतान करना होता था। महाराष्ट्र में किसान संगठनों की पूरी राजनीति कानून की इस शर्त और गन्ने की कीमत पर केंद्रित रहती है। हालांकि, शुगरकेन कंट्रोल एक्ट में एक लाइन ऐसी भी है, जिससे उन्हें 14 दिनों में एफआरपी का पूरा भुगतान करने से छूट मिल जाती है। हालांकि, इसके लिए किसान और मिल के बीच सहमति जरूरी है।

Economic Times

13/6/2019